(iv) EVIDENCE

SHRI S.C. SAMANTA: I beg to lay on the Table a copy of the Evidence given before the Committee on Petitions.

12.27 hours.

MATTER UNDER RULE 377

ACTION AGAINST THE SHANKARACHARYA OF PURI

MR. SPEAKER: Shri Sadhu Ram.

श्री वेणीशंकर शर्मा (वांका) : मेरा एक प्वांइट आफ आर्डर है—

MR. SPEAKER: What is the Point of Order?

श्री वेणी शंकर शर्मा : इस संसद की यह परम्परा रही है कि जब कोई मामला किसी कोर्ट के विचाराधीन हो तो उस पर यहां बहस नहीं की जा सकती है। इस सम्बन्ध में मैं एल 173(7) कोट करना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :

> It shall not relate to any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India.

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि शंकराचार्यजी के ऊपर पटना में एक मामला चल रहा है। अभी तक उसका निपटारा नहीं हुआ है। जब तक उस मामले का निपटारा नहीं हो जाता तब तक क्या हम इस सदन में इसके बारे में कोई चर्चा कर सकेंगे ?

SHRI S.M. BANERJEE (Kanpur): I want to oppose this Point of Order.

MR. SPEAKER: No necessary. We do not know what is happening in Patna. It is only a general policy that we are touching and certainly not what is happening. Shri Sadhu Ram.

श्री साधू राम (फिल्लौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बयान जो हाउस में देने की आपने मंजूरी दी है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 29 मार्च 1969 को पटना में हिन्दू विश्व सम्मेलन हुआ था जिसमें श्री शंकराचार्य पुरी ने बयान दिया था कि हमारे धर्म शास्त्रों में छुआछूत जायज है और मैं उसको मानता हूं कि वह सही है। जब राष्ट्रीय गान होने लगा तो वह उठकर चले गये। उन पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसको राष्ट्रीय गान नहीं मानता। यह छुआ-छूत की बात शंकराचार्य पुरी ने कह कर हमारे देश के विधान की अवहेलना की है और राष्ट्रीय गान का अपमान किया है जोकि हमारे देश के विधान के खिलाफ है और इस तरह से विधान के खिलाफ जाने का जुर्म उन पर लागू होता है। उनके ऐसा बयान देने के बाद बहुत से उनके हिमायतियों ने, करपात्री जी जैसे व्यक्तियों ने तथा वाराणसी के बालचन्द्र दीक्षित, शिव प्रसाद सिंह (मुंगेर जिला) तथा तीन हिन्दू मठों वगैरह ने उनकी हिमायत में पोस्टर निकाल कर देश भर में जो पन्द्रह करोड़ आदिवासी और हरिजन रहते हैं, उनकी गैरत को चैलेंज किया है। इससे देश में बड़ा असन्तोष व्याप्त हो गया है। इसलिए इस असन्तोष को रोकने के लिए ऐसे लोगों को तुरन्त गिरफ्तार करके उन पर मुकदमे चलाये जाने चाहिएं और उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जिन शास्त्रों का हवाला देकर सैक्युलर देश में विभाजन करना चाहते हैं उन शास्त्रों को बैन कर दिया जाना चाहिए और जिन मठों पर वह काबिज हैं, जहां बैठ कर वे छुआछूत का प्रचार करते हैं और हमारे देश के विधान को चैलेंज करते हैं, उन मठों के ऊपर गवर्नमेंट को कब्जा कर लेना चाहिए। इन बातों की पुष्टि में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हजारों लोगों की हाजरी में बयान दिया है और वह सारे देश के प्रेस में छापा जा चुका है तो उसके लिए मुकदमा चलाने में अन्य किसी बात की जरूरत नहीं रह जाती है। गवर्नमेंट के पास उनकी स्पीच का टेप रिकार्ड भी मौजूद है। इस बयान के अलावा स्पीकर साहब, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे कुछ